

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल 2016—चैत्र 23, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-61-2015-1-पांच (26).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-195-2005-1-पांच (25), दिनांक 8 सितम्बर 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (1) तथा कॉलम (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

| जांच चौकी और नाके का स्थान तथा विवरण (1) | जांच चौकी एवं नाके की अवस्थिति (2) |
|---|---|
| “नराईनाका, नौगांव-झांसी मार्ग पर, जिला छतरपुर” | नौगांव-झांसी मार्ग पर, एन. एच.-75 पर छतरपुर से (झांसी की ओर) 35-36 कि. मी. के मध्य एकीकृत जांच चौकी.” |

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-61-2015-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-61-2015-1-पांच (26), दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 12th April 2016

No. F-A-3-61-2015-1-V-(26).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-195-2005-1-V-(25), dated 8th September 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table in column (1) and column (2), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

TABLE

| Name and description of place of check post and barrier (1) | Location of check post and barrier (2) |
|--|--|
| “Narainaka, on Nowgown-Jhansi, Road, in District-Chhatarpur. | Integrated check post at N. H.-75 between 35-36 Kms. from Chhatarpur (towards Jhansi) on Nowgown-Jhansi Road.” |

2. This notification shall come into force from 20th April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-31-2009-1-पांच (27).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-31-2009-1-पांच (24), दिनांक 31 अगस्त 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, ग्राम केमाहा (छतरपुर) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

| जांच चौकी एवं नाके के स्थान का नाम तथा विवरण (1) | जांच चौकी एवं नाके की अवस्थिति (2) |
|---|--|
| “सागर-कानपुर मार्ग पर ग्राम ऊजरा, जिला छतरपुर” | सागर-कानपुर मार्ग पर छतरपुर से (कानपुर की ओर) 28-29 किलोमीटर के मध्य एकीकृत जांच चौकी पर.” |

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-31-2009-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-31-2009-1-पांच (27), दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 12th April 2016

No. F-A-3-31-2009-1-V-(27).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-31-09-1-V-(24), dated 31st August 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for entries relating to Village Kemaha (Chhatarpur), the following entries shall be substituted, namely :—

TABLE

| Name and description of place of check post and barrier (1) | Location of check post and barrier (2) |
|--|---|
| “Village Ujra in the District Chhatarpur on Sagar-Kanpur Road. | At integrated check post between 28-29 K. M. from Chhatarpur (towards Kanpur) on Sagar-Kanpur Road.”. |

2. This notification shall come into force from 20th April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.